INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

By : Editor Published On : 8 Jul, 2020 03:08 PM IST

नई दिल्ली । **सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।** आंसर शीट मामले में कुल पांच याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर कहा कि इस मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील की जा सकती है। दरअसल, 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उसी दिन से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया भी रुक गई थी। मामला लंबा चलने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उप्र की योगी सरकार को भी राहत मिली है। योगी सरकार को लखनऊ खंडपीठ के फैसले के कारण 69 हजार सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती का इंतजार करना पड़ रहा था। इससे प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती की जा सकेगी। पीएलसी□PLC,

---

URL : https://www.internationalnewsandviews.com/सहायक-शिक्षक-भर्ती-का-रास/

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION
INVC
अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com